

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), केरल का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM

कल्याण/ले.प./हि.नि./सदस्यता/2024
Welfare/Audit-I&II/BF/Membership/2024

दिनांक:27/03/2024
Date :27/03/2024

सूचना/NOTICE

भा.ले.प.व ले.वि. हितकारी निधि का गठन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संरक्षण में किया गया था ताकि बीमारी, मृत्यु आदि के मामले में विभाग के कर्मचारियों को राहत प्रदान की जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य विभाग के जरूरतमंद सदस्यों और उनके आश्रितों, जो संकट में हो सकते हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निधि से भुगतान की गई विभिन्न प्रकार की सहायता निम्नलिखित है :

The IA&AD Benevolent fund is constituted under the patronage of the C&AG of India to provide relief to the employees of the Department in case of sickness, death, etc. The assistance paid from the fund during the previous financial year are as below:

सहायता का प्रकार Type of Assistance	समूह Group	2023-24 में वितरित राशि Amount disbursed during 2023-24 (in ₹)
02/2024 तक वित्तीय सहायता (मृत्यु / संकट) Financial Assistance (Death/Distress) up to 02/2024	समूह ख और ग अधिकारी, जिनमें अनियत मजदूर भी शामिल हैं, जो सदस्य हैं Group B & C Officers including Casual Labourers who are members	55,000
नकद पुरस्कार Cash Awards	समूह ख और ग अधिकारी जो सदस्य हैं Group B & C Officers who are members	35,000
फरवरी 2023 तक निधि से भुगतान की गई कुल राशि (छियासी हजार रुपये मात्र) Total amount paid from the fund upto February 2024		90,000

भा.ले.प.व ले.वि. हितकारी निधि, केरल क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति ने निधि से वित्तीय सहायता नकद पुरस्कार आदि के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए अपनी बैठकों के दौरान यह निर्धारित किया है कि सभी प्रकार की सहायता के लिए केवल निधि के सदस्यों पर ही विचार किया जाना चाहिए। यह अक्सर देखा जाता है कि, निधि से सहायता के लिए आवेदन अस्वीकार किए जाने पर ही कर्मचारी को अभिदान का भुगतान न करने, जो सदस्यता समाप्त हो जाने का कारण बनता है, के बारे में पता चलता है।

The Regional Committee of the IA&AD Benevolent Fund, Kerala Region during its meetings to consider applications for financial assistance, cash awards etc. from the fund, has stipulated that only members of the fund need to be considered for all types of assistance. It is often observed that only on rejection of application for assistance from the fund, the employee comes to know of the non-payment of subscription causing cessation of

membership.

वर्ष 2023-24 के लिए हितकारी निधि के लिए वार्षिक अभिदान की कटौती अप्रैल 2023 के वेतन से निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :

The annual subscription towards Benevolent Fund for 2024-25 will be deducted from the salary for **April 2024**, at the rates indicated below:

समूह Group	वार्षिक दर Annual Rate (₹./Rs.)
क/A	100.00
ख/B	80.00
ग/C	50.00

यदि किसी भी मामले में, कोई अधिकारी फंड की सदस्यता लेने का इरादा नहीं रखता है, तो वह लिखित रूप में एक विकल्प का प्रयोग कर सकता है और उसे **17/04/2024** को या उससे पहले सीधे का. स्था. (रोकड़) अनुभाग को अग्रेषित किया जा सकता है। यदि निर्धारित तिथि से पहले कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है, तो ऊपर बताए अनुसार सदस्यता स्टाफ के प्रत्येक सदस्य से काट ली जाएगी। यदि बाद के चरण में कोई अधिकारी निर्धारित समय सीमा/तारीख के भीतर अनुरोध किए बिना वापसी का दावा करता है, तो उसका दावा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

If in any case, an official does not intend to subscribe to the Fund, he/she may exercise an option in writing and the same may be forwarded directly to OE (Cash) Sections on or before **17/04/2023**. If no option is received before the stipulated date, subscription as indicated above will be deducted from each member of the staff. If any official claims a refund without putting in a request for opting out within the above prescribed time limit/date, his/her claim would under no circumstances be honoured.

[प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के दिनांक 27/03/2024 के आदेशानुसार]

[Vide orders dated 27/03/2024 of Principal Accountant General (Audit)]

Signed by Mariamma Mathew

Date: 27-03-2024 14:26:55

कल्याण अधिकारी (ले.प)

Welfare Officer (Audit)

प्रतिलिपि/Copy to:

1. सभी समूह अधिकारी/All Group officers
2. प्र.म.ले. (लेखापरीक्षा-I & II के सचिव/Secretary to PAG(Audit I &II)
3. सभी शाखा अधिकारी/सभी अनुभाग/All branch officers/All Sections
4. सभी शाखा कार्यालय/Branch offices
5. व.ले.अ(रोकड़) रोकड़ Sr.AO/Cash (Audit I &II)
6. पीएस से पीएजी/PS to PAG (Audit I &II)
7. सूचना पट्ट/Notice Board